



क्रमांक 18/02/2023 -प्रशासन II

दिनांक: -17/06/2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: परिषद मुख्यालय और उसके संस्थानों के लिए GeM पर नियमों और शर्तों का एक अनुकूलित पुस्तकालय विकसित करने के लिए एक समिति का गठन

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स (एनआईबी), नोएडा में दिनांक 24-25 जनवरी 2025 को जीईएम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद पर आयोजित दो दिवसीय आवासीय कार्यशाला के दौरान लिए गए निर्देशों के अनुसार और जीईएम के जनरल मैनेजर - श्रेणी प्रबंधन (स्वास्थ्य) श्री अर्पित बाजपेयी के सुझाव के आधार पर बोली प्रक्रिया के दौरान उपयोग के लिए जीईएम पर नियम और शर्तों (टीएंडसी) की एक अनुकूलित लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह लाइब्रेरी विशेष रूप से आईसीएमआर और उसके संस्थानों के लिए डिज़ाइन की जाएगी, जिसका उद्देश्य जीईएम के माध्यम से एकरूपता सुनिश्चित करना और खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।

2. सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर समिति की संरचना निम्नानुसार है

I. श्री रमेशा एन एम, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी - (आईसीएमआर-एनआईबीआई)	-	अध्यक्ष
II. श्री राहुल जयप्रकाश वाधवानी प्रशासन अधिकारी - आईसीएमआर- एनआईओएच	-	सदस्य
III. श्रीमती नेहा गोविंद लेखा अधिकारी - आईसीएमआर- एनआईआरडीएचडीएस	-	सदस्य
IV. .श्री जीतेन्द्र कुमार, लेखा अधिकारी, आईसीएमआर (अतिरिक्त प्रभार एनआईएमआर द्वारका)	-	सदस्य
V. श्रीमती मिनी प्रमोद अनुभाग अधिकारी - परिषद मुख्यालय	-	सदस्य सचिव

3. समिति ICMR और उसके संस्थानों द्वारा विशेष उपयोग के लिए GeM के साथ समन्वय में नियमों और शर्तों की कस्टम लाइब्रेरी तैयार करेगी। कस्टम लाइब्रेरी के वर्गीकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

• श्रेणी-आधारित उत्पाद • PAC-आधारित उत्पाद • MII छूट-आधारित उत्पाद • क्लोज्ड सिस्टम पुर्ज/उपभोग्य-आधारित श्रेणी • समय सीमा-आधारित श्रेणी • सीमा शुल्क/माल ढुलाई शुल्क का दायरा (यदि कोई हो) • एलसीएस विधि	• एएमसी/सीएमसी • विभिन्न तरीकों के तहत सेवा बोलियां: • क्यूसीबीएस विधि • निश्चित पारिश्रमिक • कैटीन सेवाएं • सुरक्षा सेवाएं • क्लिनिकल परीक्षण बीमा • वेब-आधारित/मोबाइल एप्लिकेशन • अन्य सेवा बोलियां
---	---

4. समिति GeM और भारत सरकार के खरीद दिशानिर्देशों से संबंधित नीतिगत मामलों पर गहन विचार-विमर्श के बाद पुस्तकालय का विकास करेगी।
5. समिति इस प्रक्रिया में योगदान देने के लिए संबंधित क्षेत्र में प्रासंगिक ज्ञान और विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों को शामिल कर सकती है।
6. समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए आईसीएमआर के महानिदेशक को प्रस्तुत की जाएंगी।
7. **GeM पर नियमों और शर्तों की अनुकूलित लाइब्रेरी तैयार करने हेतु समिति के लिए संदर्भ की शर्तें (ToR):**
 - I. समिति का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और इसके संस्थानों के लिए अनुकूलित विनिर्देश विकसित करना है।
 - II. इसके दायरे में GeM के तहत मौजूदा खरीद नीतियों और दिशा-निर्देशों की समीक्षा करना, तथा विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं और सेवाओं के लिए आईसीएमआर और उसके संस्थानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख शर्तों को अनुकूलित करना शामिल है। अनुकूलित शर्तें GeM नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगी। GeM नीतियों और भारत सरकार की खरीद दिशा-निर्देशों में किसी भी संशोधन को दर्शाने के लिए लाइब्रेरी को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।
 - III. समिति जब भी आवश्यक हो, विशिष्ट इनपुट के लिए बाहरी GeM विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।
 - IV. लाइब्रेरी की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल या भौतिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रगति की समीक्षा के लिए समिति समय-समय पर बैठकें आयोजित करेगी। लाइब्रेरी की व्यापकता बढ़ाने के लिए आईसीएमआर संस्थानों से फीडबैक भी मांगा जा सकता है।
8. समिति का लक्ष्य तीन महीने की समय-सीमा के भीतर पुस्तकालय को अंतिम रूप देना है। समिति द्वारा पुस्तकालय की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
9. समिति अनुकूलित पुस्तकालय को अंतिम रूप दिए जाने तक आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
10. समिति नियमों और शर्तों पर सिफारिश कर सकती है, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जगदीश राजेश)

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उपमहानिदेशक(प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. परिषद मुख्यालय के सभी प्रभाग प्रमुख
3. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक(प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक (वित्त)
4. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/ प्रशासन अधिकारी (इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल)
5. डॉ. एम.एस. चाल्गा, वैज्ञानिक-डी. - से अनुरोध है कि कृपया इसे परिषद मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।